भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-158

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

पीएम श्री योजना

†158. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :
श्री संजय दीना पाटिल:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्कूली शिक्षा को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए 'प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम श्री) योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अद्यतन करने की योजना है और इस योजना के अंतर्गत स्कूल के चयन के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों और उनके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे स्कूलों को खोलने के मानदंड क्या है और उनमें छात्रों के प्रवेश के लिए तय मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पीएम श्री स्कूलों में नए बुनियादी ढांचे और सुविधाएं विकसित की जाएंगी;

(छ) क्या सरकार ने देश भर में पीएम श्री स्कूल विकसित करने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ज) पीएम श्री स्कूलों के कामकाज के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं; और

(झ) पीएम श्री ने किस तरह से छात्रों को रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण को एकीकृत करने की योजना बनाई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को दर्शाया जाना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है और साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण जिसमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (शिक्षण संवर्द्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, नवीन शिक्षण पद्धतियां, बैगलेस दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति, क्षमता निर्माण आदि)।
2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख हकदारी।
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (संयुक्त स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)
4. बालवाटिका और आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान सहित प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा
5. समता और समावेशन जिसमें बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुरक्षित और उचित बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
6. छात्रों को विषयों के चयन में छूट को प्रोत्साहित करना।
7. शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकीय पहलों का उपयोग करते हुए शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना।
8. डिजिटल शिक्षणशास्त्र के उपयोग के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय।
9. मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
10. व्यावसायिक कार्यकलाप और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ प्रशिक्षुतावृति /उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकास परियोजनाओं/निकटवर्ती उद्योग के साथ कौशल की मैपिंग करना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

(ख) और (ग): इस योजना के तहत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाकर 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है। पीएम श्री योजना के तहत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों की सूची **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए सहयोग हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन-चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है: -

चरण-1: पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

चरण-2: इस चरण में, पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के योग्य स्कूलों के एक पूल की पहचान यूडाइज़+ डाटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम मानकों के आधार पर की जाएगी।

ये मानक नवीनतम डाटा के आधार पर यूडाइज़+ पोर्टल से स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। स्कूल द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मानक इस प्रकार हैं:

i. स्कूल के पास अच्छी स्थिति में अपना पक्का भवन होना चाहिए।
ii. बाधा रहित प्रवेश-रैम्प।
iii. स्कूल सुरक्षित होना चाहिए.
iv. श्रेणी के लिए प्रारंभिक (कक्षा 1-5/1-8) स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन राज्य के औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।
v. स्कूल में बालक और बालिकाओं हेतु कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।
vi. स्कूल में पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
vii. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
viii. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षकों के पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।
ix. बिजली की आपूर्ति कार्यात्मक स्थिति में होनी चाहिए।
x. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कॉर्नर की सुविधाएं और खेल उपकरण होने चाहिए।

चरण-3: यह चरण निश्चित मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है। पीएम श्री स्कूल के रूप में चुने जाने के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। शर्तों को पूरा करने की प्रामाणिकता राज्यों/केविसं/जनवि द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों की सूची की सिफारिश की जानी अपेक्षित है और चुनौती पद्धति के माध्यम से अंतिम स्कूल चयन करने के लिए सचिव (एसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(घ): पीएम श्री योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य से कुल 827 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें 207 प्राथमिक विद्यालय, 468 प्रारंभिक विद्यालय, 110 माध्यमिक विद्यालय और 42 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य से चयनित स्कूलों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में महाराष्ट्र राज्य के 516 स्कूलों के लिए कुल 211.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में, महाराष्ट्र राज्य के 827 स्कूलों के लिए कुल 504.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ड.): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों में प्रवेश का मानदंड संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(च): शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पीएम श्री स्कूलों को सभी घटकों जैसे प्रारंभिक और प्राथमिक विद्यालयों में बाल फीचर और जादुई पिटारा, प्री-स्कूल शिक्षा में सहायता, बाल-अनुकूल फर्नीचर, आउटडोर खेल सामग्री आदि और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर, पूरी तरह से सुसज्जित एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला/भौतिकी प्रयोगशाला/ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला/जीवविज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर प्रयोगशाला/आईसीटी प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब, कौशल प्रयोगशाला, स्कूल नवाचार परिषद, खेल सुविधाओं से सुसज्जित खेल का मैदान आदि से परिपूर्ण किया जा रहा है।

(छ): इस योजना के तहत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाकर 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है। पीएम श्री योजना के तहत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों की सूची **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

(ज): पीएम श्री योजना में गतिविधि आधारित अधिगम और स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रावधान है। यह विज्ञान सर्कल्स और गणित सर्कल्स, प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के लिए भ्रमण जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। इसमें इको क्लब, युवा क्लब की स्थापना करने, खेल दिवस, वार्षिक दिवस, सांस्कृतिक दिवस तथा नागरिकता कौशल, संवैधानिक मूल्यों संबंधी सत्र आयोजित करने का भी प्रावधान है। यह योजना शिक्षक क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल देती है।

(झ): एनईपी 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है, जो छात्रों को भावी आवश्यक कौशल से लैस करती हैं। उपकरण और सामग्री, कच्चा माल, प्रशिक्षक, प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन और प्रवेशकालिक प्रशिक्षण, छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ सामंजस्य करके व्यावसायिक और कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान है। छात्र स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमों के साथ प्रशिक्षुता के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते है, साथ ही आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3-डी प्रिंटिंग आदि जैसी उन्नत तकनीकों से भी उनका परिचय कराया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्रीमती सुप्रिया सुले, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री संजय दीना पाटिल, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री के. राधाकृष्णन द्वारा 'पीएम श्री योजना' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के भाग (ख), (ग) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस के अनुसार चयनित स्कूलों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11
2	आंध्र प्रदेश	855
3	अरुणाचल प्रदेश	91
4	असम	382
5	बिहार	804
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	341
8	दमन दीव-दादर नगर हवेली	6
9	गोवा	25
10	गुजरात	448
11	हरियाणा	241
12	हिमाचल प्रदेश	180
13	जम्मू और कश्मीर	396
14	झारखंड	339
15	कर्नाटक	478
16	लद्दाख	36
17	लक्षद्वीप	11
18	मध्य प्रदेश	693
19	महाराष्ट्र	827
20	मणिपुर	105
21	मेघालय	55
22	मिजोरम	30
23	नगालैंड	43
24	ओडिशा	450
25	पुदुचेरी	12
26	पंजाब	233
27	राजस्थान	639
28	सिक्किम	43
29	तेलंगाना	794
30	त्रिपुरा	84
31	उत्तर प्रदेश	1710
32	उत्तराखंड	226
33	केन्द्रीय विद्यालयों	869
34	एनवीएस	625
	कुल	**12084**

*****

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्रीमती सुप्रिया सुले, प्रो वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री संजय दीना पाटिल, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री के. राधाकृष्णन द्वारा 'पीएम श्री योजना' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में चयनित पीएम श्री स्कूलों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल
1	अहमदनगर	28
2	अकोला	18
3	अमरावती	33
4	औरंगाबाद	17
5	बीड	22
6	भंडारा	43
7	बुलढाना	12
8	चंद्रपुर	30
9	धुले	9
10	गड़चिरोली	22
11	गोंदिया	20
12	हिंगोली	10
13	जलगांव	35
14	जलना	18
15	कोल्हापुर	27
16	लातूर	18
17	मुंबई उपनगर	2
18	नागपुर	34
19	नांदेड़	35
20	नंदुरबार	13
21	नासिक	44
22	उस्मानाबाद	19
23	पालघर	22
24	परभनी	20
25	पुणे	38
26	रायगढ़	26
27	रत्नागिरि	16
28	सांगली	24
29	सतारा	24
30	सिंधुदुर्ग	16
31	सोलापुर	39
32	ठाणे	20
33	वर्धा	17
34	वाशिम	16
35	यवतमाल	40
	कुल	**827**

*****